

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 51/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 08.10.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 74/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 18.05.2016, का.आ. 1803(अ) दिनांक 18.05.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.4 के स्तंभ सं. 3 और 4 में मौजूद प्रविष्टियों को क्रमश "डीआरआई फ़ा.सं.856(39) LDH/2005 दिनांक 01.06.2007, दिनांक 13.03.2008 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय" और "आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-33/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई द्वारा अपर महानिदेशक, डीआरआई-लुधियाना को लिखे गए उनके पत्र फ़ा सं S/10-47/2007 Gr. VII दिनांक 13.07.2020 के संदर्भ में.
2. अपर महानिदेशक, डीआरआई-लुधियाना ज़ोनल यूनिट को उनके पत्र फ़ा सं फ़ा सं 856(39) Ldh/2005/II/932 दिनांक 25.09.2020 और इस निवेदन के साथ कि वे इस अधिसूचना के निर्गमन के बारे में कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों को सूचित करें